

गो जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में हमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 क्रमशः गोदावरी, कमली एवं चन्दा ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत पेश किय गये है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खारीजोधा का खसरा नम्बर 506/248 रकबा 1.0846 हैक्टेयर में से रकबा 0.5423 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 248 रकबा 1.4083 हैक्टेयर में से रकबा 1.2707 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या बोंदूराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खारीजोधा का खसरा नम्बर 506/248 रकबा 1.0846 हैक्टेयर में से रकबा 0.5423 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 500/257 रकबा 1.1331 हैक्टेयर पूरा खेत एवं खसरा नम्बर 248 रकबा 1.4083 हैक्टेयर में से रकबा 0.1376 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 क्रमशः गोदावरी, कमली एवं चन्दा द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
5. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओ मप्र कृष्ण वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ मप्र कृष्ण वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल